बिहार सरकार,
मानव संसाधन विकास विभाग ।

प्रेषक,

श्री हेमचन्द्र झा,
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सचिव,
सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन
शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेन्टर ईस्ट बिहार,
विकास मार्ग, नई दिल्ली-110092 ।

पटना, दिनांक- मई, 05 ।

विषय:- राज्य के निजी विद्यालयों को सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि दिनांक 7-12-2004 को निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में उच्च स्तरीय समिति की बैठक में सर्व सम्मति से लिए गये निर्णय के आलोक में निम्नांकित निजी विद्यालयों की सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जाँचोपरान्त इस शर्त्त के साथ निर्गत करने का निर्णय लिया गया कि उन्हें सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार के विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के समकक्ष वेतन भुगतान विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों को करना होगा ।

1. आर0पी0एस0 रेसिडेन्सियल स्कूल न्यू पैली रोड, पटना ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार।

ज्ञापांक- 250 पटना, दिनांक- 14 मई, 05 ।

प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, पटना/क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, पटना प्रमंडल, पटना/जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना/संबंधित विद्यालय के प्राचार्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

2- शैक्षणिक गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा प्रतिवर्ष कम से कम एक बार विद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा ।

3- निम्नांकित परिस्थितियों में विद्यालय को निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त/वापस लेने की कार्रवाई सरकार द्वारा की जा सकती है -

— 2

(क) विद्यालय के द्वारा विद्यालय के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के कर्मियों के समक्ष वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान नहीं किया जा रहा है अथवा भुगतान में अधिक विलम्ब किया जा रहा है ।

(ख) अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए समर्पित कागजात एवं अभिलेख जाली पाये जाने अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न होने पर ,

(ग) विद्यालय में वित्तीय अनियमितता की जा रही हो अथवा जिस मद के लिए राशि की व्यवस्था हो अथवा दूसरे मद में व्यय किया जा रहा हो ।

(घ) विद्यालय ऐसी गतिविधि में संलग्न हो जो राज्य के हित एवं राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमों के विरुद्ध हो एवं ऐसी कार्रवाई की जा रही हो जिसमें समाज में विभिन्न समुदाय के बीच कटुता पैदा हो ।

(ङ) सी०बी०एस०ई० मान्यता के अनुरूप भवनों में सी०बी०एस०ई० मान्यता के अनुरूप विद्यार्थियों की संख्या निर्धारित नहीं किये जाने पर ।

(हेमचन्द्र झा)
सरकार के संयुक्त सचिव, बिहार ।

Principal
R.P.S. Residential School
New Bailey Road, Patna